न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

अपील संख्या:– 04 / 2017

निर्णय दिनांक :– 8-11-2019

श्रीमती बादुदेवी धर्मपत्नी स्व. परमेश्वरलाल जाति ब्राहमण निवासीनी ग्राम गोगासर तहसील रतनगढ जिला चूरू

... अपीलान्ट

बनाम

1. भंवरलाल
2. गिरधारीलाल
3. सांवरमल

} पुत्रगण इन्द्रचन्द जाति ब्राहमण नि.गण ग्राम गोगासर तहसील रतनगढ जिला चूरू

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ जिला चूरू
5. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर वर्तमान एस.बी.आई. शाखा गोगासर तहसील रतनगढ जरिये शाखा प्रबन्धक

... रेस्पोडेन्टान

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

उपस्थित:–

1. श्री देवेन्द्र कुमार चोटिया अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री रामचन्द्र ज्याणी अभिभाषक रेस्पो.सं. 3
3. श्री प्रमोद कुमार इन्दौरिया अभिभाषक रेस्पो. सं. 5
4. पैरोकार राज

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. अपीलान्ट बादूदेवी की ओर से यह अपील दिनांक 26.7.2017 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान को जरिये नोटिस तलब किया गया।
2. अपील का सक्षेंप में विवरण इस प्रकार है कि आदेश जेर अपील नामान्तरकरण संख्या 1034 रोही ग्राम मालासर के सम्बन्ध में दिनांक 26.5.2014 को

Scanned by CamScanner

तहसीलदार रतनगढ द्वारा रेस्पो. सं. 5 के पक्ष में रहन का दर्ज किया है, जो खिलाफ कानून एवं नियम विरूद्व तथा रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम मालासर की ख.नं. 583/363 व 585/415 कुल तादादी 20 बीघा 10 विश्वा भूमि में रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 को 39/168 हिस्सा का सहहिस्सेदार मान कर उनका हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं. 5 के पक्ष में रहन दर्ज किया गया है जबकि रेस्पो.सं. 1 से 3 व अन्य सहहिस्सेदारों ने दिनांक 15.6.2009 को जरिये रजिस्टर्ड परित्याग पत्र अपीलान्टा के पति परमेश्वरलाल के पक्ष में अपना हिस्सा परित्याग कर दिया था। उक्त भूमि में परित्यागकर्ताओं का कोई हिस्सा व सरोकार नही रहा है। परमेश्वरलाल का स्वर्गवास हो जाने के कारण उसका हिस्सा अपीलान्टा व अन्य वारिसान में निहित हुआ है। अपीलान्टा प्रभावित पक्ष है।

3. रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 03 द्वारा परित्याग पत्र किये जाने के बाद जैर अपील से सम्बधित भूमि में कोई खातेदारी अधिकार नही रहे है और मौके पर कब्जा काश्त भी नही है। लैण्ड रेकार्ड रूल्स के अनुसार राजस्व रैकार्ड में परिवर्तन योग्य दस्तावेज निष्पादन के पश्चात उप पजिंयक द्वारा रेस्पो. सं. 4 को भिजवाये जाते है, जिसका नामान्तरकरण दर्ज न कर परित्यागशुदा भूमि का नामान्तरकरण परित्यागकर्ताओं के हिस्से का जो आदेश रेस्पो. सं. 5 के पक्ष में किया गया है यह बिना अधिकारिता के निष्पादित रहननामा का होने से नामान्तरकरण योग्य नही था।

4. आदेश जैर अपील स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नही आता है। अपीलान्टा को आदेश पारीत करते समय कोई सुनवाई का अवसर नही दिया गया। पंजीकृत परित्याग पत्र से हिस्सा समाप्त हो जाने के बावजूद उन्ही व्यक्तियों के द्वारा रहननामा छल, कपट की नियत से तैयार किया गया है। रहननामा कानूनन कोई महत्व नही रखता है। इस बाबत रेस्पो. सं. 4 को ज्ञान व डयूटी होते हुए रूटीन में 'स्वीकृत' शब्द अकिंत किया गया है, वह हर प्रकार से अपास्त किये जाने योग्य है। नामान्तरकरण पर आदेश पारित करने से पूर्व लैण्ड रेकार्ड रूल्स के नियम 118 से 121 की प्रकिया का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है।

5. अपीलान्टा पटवारी हल्का के पास के.सी.सी. के लिए जमाबन्दी की नकल लेने हेतु दिनांक 13.7.2017 को गई तब पटवारी ने बताया कि परित्याग के बावजूद रेकार्ड में नाम नही चढा है तथा रेस्पो.स. 1 से 3 ने अपनी भूमि बता कर बैंक को रहन रखी हुई है। अपीलान्टा ने दिनांक 14.7.2017 को नकल प्राप्त की। रेस्पो.सं. 1 व 2 ने गलती मानते हुए राशि बैंक में जमा करा दी और रेस्पो. सं. 3 ने कहा जो बन पड़े कार्यवाही करों, उसने तो बैंक वालो को पैसे देकर रूपये उठाये है।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी रतनगढ़ (जिला चूरू) राज.

8.11.19
उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

6. अपीलान्टा ग्रामीण अचंल की विधवा महिला है। उसे आदेश जेर अपील का ज्ञान नही था, सर्वप्रथम वकील द्वारा नकल लेने पर सर्वप्रथम ज्ञान हुआ है और जानकारी से अन्दरमियाद अपील पेश है। आदेश जेर अपील नामान्तरकरण सं. 1034 के सम्बधं आदेश दिनांक 26.5.2014 रोही ग्राम मालासर तहसील रतनगढ अपास्त फरमाया जावे।

7. बहस उभय पक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई। पत्रावली एवं रेकार्ड का भलिभातीं अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्टा का मुख्य रूप से कथन है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 ने ग्राम मालासर की ख.नं. 583/363 व 585/415 कुल तादादी 20 बीघा 10 विश्वा में से अपने हिस्से की भूमि दिनांक 15.6.2009 को अपीलान्टा के पति परमेश्वरलाल को जरिये रजिस्टर्ड परित्याग पत्र परित्याग कर दी थी। परित्याग के बाद इनका कोई सम्बन्ध व हिस्सा इस भूमि में नही रहा। अपना हिस्सा समाप्त होने के बावजूद उन्ही व्यक्तियों की ओर से छल व कपट की नियत से बैंक के पक्ष में रहननामा का नामान्तरकरण सं. 1034 दिनांक 26.5.2014 को दर्ज करवाया है, वह खिलाफ कानून है। परित्याग करने के बाद निष्पादित रहननामा का कूननन कोई महत्व नही है। इसलिए आदेश जैर अपील दिनांक 26.5.2014 अपास्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पो. सं. 5 का कथन है कि परित्याग की सूचना बैंक को नही दी गई। जिस पर अभिभाषक अपीलान्टा का कथन है कि बैंक को सर्च रिपोर्ट लेनी चाहिए थी, जो इस मामले में नही ली गई।

हमने बहस पर मनन किया। नामान्तरकरण संख्या 1034 दिनांक 26.5.2014 को स्वीकृत किया गया है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 ने ग्राम मालासर की ख.नं. 583/363 व 585/415 कुल तादादी 20 बीघा 10 विश्वा में से 39/168 हि. अपने हिस्से की भूमि बताकर बैंक रेस्पो. सं. 5 के पक्ष में रहन रखी गई है, जबकि परित्याग पत्र दिनांक 15.6.2009 के द्वारा इन्होने अपनी सम्पूर्ण हिस्से की भूमि अपीलान्टा के पति परमेश्वरलाल को परित्याग कर दी थी। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3 को रहननामा पजींबद्ध करवाने की दिनांक 26.5.2014 को कानूनन भूमि पर कोई अधिकार नही रहा था। तहसीलदार रतनगढ की ओर से रहननामा पजींबद्ध करते समय कोई ध्यान नही दिया गया। राजस्थान लैण्ड रेवन्यू (लैण्ड रेकार्ड) रूल्स के नियम 141 में यह स्पष्ट निर्देश है कि तहसीलदार प्रत्येक माह उप पजींयक से खेती की जमीनों के बारे में पंजीबद्व दस्तावेज प्राप्त करके आगे कार्यवाही करेगा। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा समुचित कार्यवाही नही की गई है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3 ने तथ्यो को छुपाकर बैंक के पक्ष में रहननामा पंजीबद्व करवाया है, जो कूननी रूप से अवैध है। नामान्तरकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पारित आदेश दिनांक 26.5.2014 रूटिन में दिया गया है, अपीलान्टा को कोई सूचना या सुनवाई का अवसर नही दिया गया है और

8.11.19
उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

अपीलान्टा के पति परमेश्वरलाल के पक्ष में परित्याग पत्र किया हुआ होने व परमेश्वरलाल का स्वर्गवास हो जाने अपीलान्टा के हित प्रभावित होते है। इस प्रकार आदेश जेर अपील नामान्तरकरण संख्या 1034 रोही ग्राम मालासर के सम्बन्ध में दिनांक 26.5.2014 को तहसीलदार रतनगढ द्वारा रेस्पो. सं. 5 के पक्ष में रहन का दर्ज किया है, वो खिलाफ कानून एवं नियम विरूद्ध तथा रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलान्टा की अपील स्वीकार की जाती है। आदेश जेर अपील नामान्तरकरण संख्या 1034 रोही ग्राम मालासर तहसील रतनगढ के सम्बन्ध में दिनांक 26.5.2014 को पारित आदेश निरस्त किया जाता है। तहसीलदार रतनगढ परित्याग पत्र के अनुसार नामान्तरकरण बाबत आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करें।

निर्णय आज दिनांक 8.11.19 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

Gsaini 8.11.19

(डॉ. गौरव सैनी)

उपखण्ड अधिकारी

रतनगढ (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी

रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Saini

Date: 2019.11.30 15:38:34 IST

Reason: SelfAttested

Location: